भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2340

जिसका उत्तर मंगलवार 2 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अतिरिक्त भूमि की बिक्री

2340. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की अप्रयुक्त भूमि को बेचे जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पीएसयू की परिसंपत्तियों की कोई सूची तैयार की है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वंचित और बंद किए गए सीपीएसई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2000 से बंद पड़ी कंपनियों की भूमि और परिसंपत्तियों की स्थिति क्या है और इनकी भूमि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा पट्टे पर दिए जाने के संबंध में पीपीपी योजना के अंतर्गत सरकार का उद्योग-वार क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जहां तक भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का संबंध है, इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम (सीपीएसई) ने ऐसी अधिशेष भूमि की सूचना नहीं दी है जिसकी बिक्री की जा सकती हो। तथापि, उन सीपीएसई, जिनको बंद करने का अनुमोदन दिया जा चुका है, की भूमि और परिसंपत्तियों को लोक उद्यम विभाग द्वारा 7 सितंबर, 2016 को जारी किए गए विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया/बेचा जाएगा। एनबीसीसी (इंडिया लिमिटेड) को भूमि की बिक्री/निपटान के लिए भू-प्रबंधन अभिकरण (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों की परिसंपत्तियों आदि की सूची तैयार करनी होगी।

(ग): सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन छह सीपीएसई के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई का अनुमोदन किया है:-

- ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड का 100% विनिवेश।
- संबंधित सीपीएसई की 100% शेयरधारिता का विनिवेश हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में कार्यनीतिक क्रेता को द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना।
- सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयों का विनिवेश, जहां कानूनी रूप से अनुमत्य हो, कार्यनीतिक क्रेता को द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना।
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का विलय इसके समान कार्य करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम में किया जाना।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों यथा- हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) एचएमटी वाचेज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड उद्यमों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा इकाई और एचएमटी लिमिटेड के ट्रेक्टर डिवीजन को भी बंद करने का निर्णय लिया है। इन सीपीएसई/इकाइयों के कर्मचारियों को 2007 के नोशनल वेतनमान पर आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) की पेशकश की गई है।

(घ): जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमि और परिसंपत्तियों की पीपीपी मॉडल के आधार पर बिक्री करने अथवा पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****